



षोडश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-19.03.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री रामदेव राय, स०वि०स०
श्री अशोक कुमार, स०वि०स०
(क्षेत्र सं०-132)
श्री शिवचन्द्र राम, स०वि०स०
श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स०
(क्षेत्र सं०-97)
श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स०

“राज्य सरकार द्वारा तीन हजार से ज्यादा कृषि समन्वयकों की नियुक्ति हेतु वर्ष-2017 में चयन किया गया है, जिसमें से करीब दो सौ कृषि समन्वयकों को नियुक्ति पत्र देने के बावजूद भी बिना किसी कारण के योगदान लम्बित रखा गया है।

अतः नियुक्ति पत्र निर्गत सभी कृषि समन्वयकों को योगदान जल्द से जल्द कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

कृषि

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री रत्नेश सादा,
स०वि०स०
श्री अचमित ऋषिदेव,
स०वि०स०
श्री चन्द्रसेन प्रसाद,
स०वि०स०
श्री दिनकर राम,
स०वि०स०
- “पथ निर्माण विभाग में 30 सहायक अभियंताओं की प्रोन्नति विभागीय अधिसूचना संख्या-652, दिनांक-28.07.2017 द्वारा कार्यपालक अभियंता के पद पर बिहार अभियंत्रण सेवा संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के C.W.J.C. No.-11788/2016 में पारित न्यायादेश दिनांक-05.07.2012 का विरोध करने पर 3 डिप्लोमाधारी अनुसूचित जाति / जनजाति के सहायकों को छोड़कर उनमें 16 सहायक अभियंताओं को जिनकी सेवा 8 वर्ष है, को कर दी गयी है, जबकि बिहार अभियंत्रण से श्रेणी-1 नोडल विभाग, पथ निर्माण विभाग द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की अधिसूचना नहीं निकाली गयी। माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर L.P.A. No.-294/2013, दिनांक-30.06.2015 द्वारा बिहार अभियंत्रण सेवा जी071 नियमावली के नियम-08 का Clarification या संशोधन का सुझाव दिया गया है।


अतः अभियंत्रण सेवा श्रेणी-1 नियमावली के नियम-8 का संशोधन कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।”

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/18-1402-1412, वि०स०, पटना, दिनांक-16 मार्च, 2018 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / कृषि विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.03.2018


(प्रदीप कुमार राय)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/18-1402-1412 / वि०स०, पटना, दिनांक-16 मार्च, 2018 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।


16.03.2018

(प्रदीप कुमार राय)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।


16/3/18